

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

सुश्री रतनी पुत्री गोपाल मीणा ना0बा0 जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमति गोपाली पत्नी गोपाल मीणा निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा

— वादिया

बनाम

- 1- किशन पुत्र देवी मीणा निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 2- छोगा पिता नन्दा मीणा निवासी ढाणी भवसागर तहसील शाहपुरा
- 3- गोपाल पिता हरनाथ मीणा निवासी ढाणी भवसागर हाल निवासी भरेड रोड बन्देरिया जिला चित्तौड़गढ़
- 4- तहसीलदार/ उप प्रंजीयक शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- मेनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 18 सन् 2017 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिव मुदई वX मिनजानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादिया अदम हाजरी अदम पैरवी जाकर खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 09 सन् 2023 को जारी की गई।



(पुनीत कुमार/गेलड़ा)

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा